FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..सीपीएसजयपुरYear(वर्ष).2022..FIRNo.(प्रसूरिसं)..423.Dateदिनांक)..3/11/22

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराऐं). .... 7...............

(ii) Act (अधिनियम)........... .... Sections (धाराऐं).................. ....

(iii) Act (अधिनियम)............................Sections (धाराऐं)...

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 02.11.2022 to (दिनांक तक) Time Period (पहर)....11.56 AM....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक

(b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय).

(c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या)...45. Time(समय).. 2:35 pm

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 65 KM पूर्व .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) .. कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ, जिला चूरू।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)

Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्रीमती रेशमा...

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता/पति का नाम) ... श्री जय सिंह.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)..... YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. बालाजी स्वयं सहायता समुह नेशल छोटी तहसील राजगढ जिला चूरू

(g)(छ) Address (पता) निवासी नेशल छोटी तह. राजगढ जिला चूरू।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हीरालाल जाति खाती निवासी रामपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू हाल ब्लॉक समन्वयक (संविदाकर्मी) कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ जिला चूरू।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).....शून्य.....

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ..Trap Rs 8,000 .....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू

विषयः– महिला एवं बाल विकास कार्यालय राजगढ के बाबू सुभाष को रिश्वत लेते पकड़वाने के क्रम में।

महोदया,

निवेदन है कि मैं रेशमा पत्नी जयसिंह निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ की रहने वाली हूं मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषाहार वितरण का कार्य करती थी मेरे से पोषाहार वितरण का काम मार्च 2020 के बाद छुड़वा लिया, मार्च 2020 तक के वितरण सम्बन्धि बिल मेरे आज तक करीब 01 लाख रुपये के बिल अलग–अलग समय के मेरे बकाया चल रहे है उक्त बिलो को मैने पास करवाने के लिय कई बार ऑफिस में जाकर सम्पर्क किया परन्तु मुझे कोई सही जानकारी नहीं दी गई मेरे अलावा मेरे साथ शर्मिला व लिछमा का भी बिल मेरी तरह ही बकाया चल रहे है मै दिनांक 22.08.2022 को सीडीपीओ साहब से मिली तो उन्होनें कहा कि आपके बिल पास करने के बदले 20 प्रतिशत कमिशन हमे देना पड़ेगा तब आपके बिल पास होगे और कहा कि बाकी की सारी बात खुलासे में बाबू जी सुभाष जी से कर लेना वो आपको सब समझा देगें तब मैं बाबूजी सुभाष जी से मिली तो बाबूजी सुभाष जी ने मुझे बताया कि आपका करीब 01 लाख रुपये बकाया बिल चल रहा है और शर्मिला व लिछमा के भी करीब इतने ही बकाया है सीडीपीओ साहब ने मुझे आप सब के बिल पास करने के लिये 20 प्रतिशत कमिशन के लेने के लिये बताया है 20 प्रतिशत के हिसाब से करीब 50–60 हजार रुपये कमिशन के हो जाते है ये रुपये आप लोग पहले मुझे लाकर दे दो तो मे आपके बिल पास करवा दुंगा। बाबुजी सुभाष जी हमारी मेहनत के रुपयों में से 20 प्रतिशत के हिसाब से बिल पास करने के लिय रिश्वत मांग रहे है मे उन्हे मेरे जायज काम के बिलो के भुगतान की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहती हुं और सुभाष जी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहती हुँ। मेरा व सुभाष जी का आपस में कोई लेन–देन बकाया नहीं है और हमारी आपस में कोई रंजिश व दुश्मनी नहीं है रिपोर्ट करती हुँ कानूनी कार्यवाही करें।

दिनांक 28.10.2022

प्रार्थीया
एसडी
रेशमा पत्नी जयसिंह
निवासी–नेशल छोटी
तह0 राजगढ जिला चूरू
मो0न0 7240534776

(एसडी)
नरेन्द्र

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 28.10.2022 को वक्त 12.30 पीएम पर मैं शब्बीर खान डीवाईएसपी मय कानि. श्रवण कुमार के जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री हिम्मत सिंह के राजगढ पहुंच जरिये मोबाईल फोन तलब करने पर परिवादिया श्रीमती रेशमा पत्नी जयसिंह व उसका पुत्र श्री नरेन्द्र मन् डीवाईएसपी के पास कोर्ट परिसर राजगढ के पास उपस्थित आये व उपरोक्त लिखित रिपोर्ट पेश की एवं उक्त रिपोर्ट नरेन्द्र के द्वारा हस्तलिपि होना बताया। परिवादिया श्रीमती रेशमा ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैनें महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केन्द्र नेशल छोटी फर्स्ट पर मार्च 2020 तक पोषाहार वितरण का कार्य किया था। उस समय के पोषाहार वितरण के मेरे करीब 01 लाख रुपये के बिल भुगतान हेतु बकाया है। मैं कई बार भुगतान के लिये सीडीपीओ राजगढ कार्यालय में गई परन्तु किसी ने मेरी कोई नहीं सुनी। मेरे साथ शर्मिला व लिछमा व और भी कई साथिनों के भुगतान अटका रखे है। मैं दिनांक 22.10.2022 को सीडीपीओ राजगढ से उनके ऑफिस में मिली व बकाया भुगतान के लिये बात की तो उन्होनें कहा कि आपको बिल पास कराने है तो बिल

राशि का 20 प्रतिशत कमिशन हमें देना होगा। सीडीपीओ साहब ने कहा कि इस सम्बन्ध में मेरे बाबू सुभाष से मिल लो वह तुम्हें सारी बात खुलासे में समझा देगा। इस पर मैं सुभाष जी बाबूजी से मिली तो सुभाष जी ने कहा कि आपका करीब एक लाख रुपये के बिल बकाया है, सीडीपीओ साहब ने आपके बिल पास करने के पेटे 20 प्रतिशत खर्चा लेने के लिए कहा है यह 20 प्रतिशत खर्चा आप मुझे दे देते हो तो मैं आपके बिल पास करा दूंगा। सुभाष जी बाबू स्वयं व सीडीपीओ साहब के लिये नाजायज मेरे से 20 प्रतिशत रिश्वत के मांग रहे है मैं अपने जायज काम के लिये रिश्वत नहीं देना चाहती उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हूं। मेरे व सीडीपीओ साहब व सुभाष बाबूजी से कोई रंजिश या आपस का लेन–देन बकाया नहीं है। परिवादिया रेशमा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त के तथ्यों से मामला रिश्वत की मांग का लगता है, फिर भी रिश्वती मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी उक्तानुरूप कार्यवाही की जावेगी। रिपोर्ट व दरियाफ्त पढकर सुनाई जिसे परिवादिया ने सही होना स्वीकार किया।

परिवादिया श्रीमती रेशमा को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि सुभाष बाबूजी आज मुझे अपने कार्यालय में मिल सकते है जिससे मैं आज ही रिश्वत मांग के सम्बन्ध में बात कर सकती हूं। इस पर हमराह कानि. श्रवण कुमार व परिवादिया का आपस में परिचय कराकर सरकारी वॉइस रिकॉर्डर को चालू बंद करने की विधि परिवादिया को समझाईस की गई तथा कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी कि परिवादिया के साथ सीडीपीओ राजगढ कार्यालय जाकर वॉईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादिया को सुपुर्द कर वार्ता के लिये भेजे तथा वार्ता उपरान्त मन् डीवाईएसपी को जरिये मोबाईल तथ्यों से अवगत कराये एवं जहां तक हो सके सुभाष बाबूजी व परिवादिया के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें एवं सुभाष बाबूजी के सम्बन्ध में उनके क्रियाकलापो, उनके कार्य एवं आचरण के बारे में पता करने का प्रयास करें। परिवादिया श्रीमती रेशमा व कानि. श्रवण कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिये रवाना कर मैं डीवाईएसपी जरिये सरकारी वाहन मय चालक के राजगढ से रवाना होकर चूरू पहुंचा।

वक्त 03.00 पीएम पर श्री श्रवण कुमार कानि. ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादिया रेशमा व आरोपी की रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्ता हो चुकी है। जिसे परिवादिया ने वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। परिवादिया के अनुसार उसने अपनी साथीन शर्मिला के साथ जाकर आरोपी से वार्ता की तो आरोपी सुभाष बाबू ने कहा है कि आपका लगभग 70 हजार रूपये का पोषाहार वितरण का भुगतान बाकी है, 60 हजार मान लो। इन 60 हजार रूपये का 20 प्रतिशत कमीशन राशि खर्चे के देने पर आपका भुगतान हाथों हाथ आपके खाते में जमा करवा दूंगा। इस पर परिवादिया ने कहा कि तीन हजार रूपये तो आपको दिये हुये है बाकि के मैं जल्दी ही व्यवस्था कर आपको दे दूंगी तो सुभाष बाबू ने कहा कि बकाया खर्चा देने पर ही बिल राशि का भुगतान आपके खाते में जमा करूंगा। इस पर परिवादिया रेशमा से वार्ता की तो उसने भी कानि. श्रवण कुमार के कथनों की ताईद की। परिवादिया ने बताया कि मेरे घर में शादी का प्रोग्राम है। इसलिए मैं आज चूरू नहीं आ सकती। आरोपी सुभाष ने रिश्वत राशि लेकर मुझे 1 या 02.11.2022 को बुलाया है। इस पर कानि. श्रवण कुमार को निर्देश दिया कि परिवादिया को राजगढ में ही छोड़ वॉईस रिकार्ड सुरक्षित लेकर चौकी पर आ जायें। इस पर मन् उप अधीक्षक के निर्देश से कानि. श्रवण कुमार वक्त 05.15 पीएम पर चौकी चूरू हाजिर आया व रिकॉर्ड वार्ता का वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे आइन्दा परिवादिया के हाजिर आने पर ट्रांसस्क्रीप्ट बनाने के लिये सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 31.10.2022 को परिवादिया रेशमा देवी से जरिये मोबाईल वार्ता की तो उसने बताया कि आरोपी सुभाष बाबू ने कल दिनांक 01.11.2022 को पैसे लेकर बुलाया है। इस पर परिवादिया को रिश्वती राशि सहित सुबह 09.00 एएम पर चौकी चूरू पहुंचने के निर्देश दिये गये। दिनांक 01.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु जोधपुर डिस्कॉम वृत कार्यालय चूरू से दो सरकारी कर्मचारी पुनीत कुमार द्विवेदी व विकास कुमार मिश्रा वाणिज्यिक सहायक को तलब किया गया। परिवादिया श्रीमती रेशमा हाजिर चौकी आई व बताया कि रिश्वती राशि में से 8,000 रुपये की व्यवस्था हुई है जो मैं साथ लाई हूँ। इस पर दिनांक 28.10.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता का वॉईस रिकॉर्डर जो सुरक्षित रखा है, में रिकॉर्ड वार्ता को परिवादिया श्रीमती रेशमा व कानि. श्रवण कुमार के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता अलग से तैयार की गई। आमदा दोनो सरकारी कर्मचारियों को परिवादिया द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों का परिवादिया श्रीमती रेशमा से आपस में परिचय कराया गया। परिवादिया की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादिया ने सही होना बताया। रूबरू गवाहान परिवादिया श्रीमती रेशमा ने निर्देशानुसार रिश्वत में दिये जाने वाले आठ हजार रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कर श्री श्रवण सिंह स0प्र0अ0 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादिया श्रीमती रेशमा के बताये अनुसार उसके पास कोई आपतिजनक सामान नहीं होने पर परिवादिया के छोटे पर्स में श्री श्रवण सिंह स0प्र0अ0 से रिश्वती

राशि रखवाई जाकर परिवादिया के पास एक थैली में पर्स को रखवाया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे बाबत परिवादिया को हिदायत दी गई। श्री श्रवण सिंह स0प्र0अ0 के हाथ सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त घोल में हाथ धुलवाकर परिवादिया व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व समझाया गया। परिवादिया श्रीमती रेशमा को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सुपुर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादिया को उसका मोबाईल सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी व सुपुदर्गी नोट अलग से तैयार की गई। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी सुरक्षित रखवाई गई।

समय 01.15 पीएम पर परिवादिया श्रीमति रेशमा को ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया में मौके पर 4–5 घण्टे लगने व उसके कार्यवाही में उपस्थित रहने के सम्बन्ध में कहा तो परिवादिया ने बताया कि मेरे घर पर शादी का प्रोग्राम है जिसमें आज 5 बजे शाम विनायक जी स्थापना की जावेगी जिसमें मुझे घर पर रहना आवश्यक है। इसलिए यदि इस कार्यवाही में समय लगता है तो कार्यवाही कल दिनांक 02.11.22 को करनी होगी तथा मैं औरत अकेली आने जाने में परेशान होती हूं। इसलिए आप दिनांक 02.11.22 को राजगढ आ जाना मैं आपको राजगढ में मिल जाउंगी। परिवादिया द्वारा बताई गई वार्ता के अनुसार उसके घर शादी के प्रोग्राम को मध्यनजर रखते हुये परिवादिया के पास थैली में रखे छोटे पर्श जिसमें रिश्वती राशि रखी है, उस पर्श को गवाह पुनीत कुमार से निकलवाकर पर्श को सुरक्षित रखा गया तथा परिवादिया को दिनांक 02.11.22 को सुबह 10 बजे हरसूरत में राजगढ कोर्ट के पास मिलने के निर्देश देकर रूखस्त दी गई। दोनों गवाहान को पूर्ण गोपनीयता बरतने के निर्देश के साथ दिनांक 02.11.22 को सुबह 8 बजे चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखस्त दी गई व कार्यालय स्टॉफ को आवश्यक निर्देश दिये गये।

दिनांक 02.11.2022 को दोनों गवाहान श्री पुनीत कुमार द्विवेदी व श्री विकास कुमार मिश्रा के हाजिर चौकी आने पर वक्त 10.30 एएम पर मै उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहान तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, रिपेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार, राजकुमार, बसंन्त सिंह कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री हिम्मत सिंह व प्राईवेट वाहन सं0 आरजे 10 यूए 7747 मय चालक साबीर अली के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना राजगढ के लिए हुआ। श्री श्रवण सिंह स.प्र.अ.को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

वक्त 11.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के राजगढ कोर्ट के सामने पहुंचे। परिवादिया श्रीमती रेशमा पाबन्दशुदा हाजिर मिली। दिनांक 01.11.2022 को परिवादिया से वापस ली गई पर्स में रखी 8,000 रुपये रिश्वती राशि के पर्स को कानि. दीपेश कुमार से गवाहों के समक्ष परिवादिया के पास एक छोटी थैली में आरोपी को मांगने पर रिश्वत देने के लिये रखा गया। परिवादिया रेशमा को लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए सरकारी वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुपुर्द कर रिश्वत स्वीकृति के ईशारे बाबत् पुनः बताया जाकर सीडीपीओ कार्यालय के लिए रवाना किया गया तथा कानि श्रवण कुमार, ओमप्रकाश को पीछे–पीछे पैदल रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक, दोनो गवाहान, कानि राकेश कुमार, राजकुमार, प्रमोद कुमार के मय सरकारी वाहन के तथा श्री गिरधारी सिंह सउनि मय शेष स्टाफ व प्राईवेट वाहन के परिवादिया के ईशारे के इंतजार में मुख्य सड़क पर मुकीम हुआ। कानि. दीपेश कुमार को बाद हिदायत कर मौके से रूख्सत किया गया।

परिवादिया श्रीमती रेशमा ने सीडीपीओ कार्यालय राजगढ से मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल से वक्त 11.56 एएम पर मिस कॉल करने पर मैं उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान मय ट्रेप दल के तुरन्त ही पंचायत समिति राजगढ परिसर में सीडीपीओ कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा। मुख्य द्वार के अन्दर चौक में परिवादिया श्रीमति रेशमा खड़ी मिली, जिससे वक्त रिश्वत लेनदेन रिकार्ड वार्ता का वॉईस रिकार्डर प्राप्त किया। परिवादिया रेशमा ने बताया कि अन्दर 07 नम्बर कमरे में मुझे सुभाष जी बैठे मिले जिनके पास मैं अभी गई व मेरे भुगतान के सम्बन्ध में बात की तो उन्होनें मेरे से कमीशन के पैसे मांगे जिस पर मैनें अपने छोटे पर्श में रखे 8000 रूपये निकालकर सुभाष जी को दिये। सुभाष जी ने मेरे से रूपये अपने दाहीने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी शर्ट की सामने की जेब में रख लिये व एक पर्ची पर इन्होनें कुछ लिखा व मुझे कहा कि अन्य समूहों की फर्मों से पैसे लाकर दोगी तब आपका बिल पास करूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादिया रेशमा व हमराह जाब्ता, गवाहान को साथ लेकर बरामदे में दाहीनी तरफ कमरा नम्बर 07 के गेट के पास पहुंचा तो गेट पर ही एक व्यक्ति की तरफ परिवादिया ने ईशारा कर बताया कि यही सुभाष जी है जिन्होनें अभी अभी मेरे से आठ हजार रूपये रिश्वत के लिये है। इस पर कमरे में बैठे उक्त व्यक्ति को मन् उप अधीक्षक ने अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो इस व्यक्ति ने अपना नाम सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक (संविदाकर्मी) कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग राजगढ जिला चूरू होना बताया। आरोपी सुभाषचन्द्र को

परिवादिया रेशमा से ली गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो सुभाषचन्द्र ने बताया कि मैं रेशमा को जानता हूं। यह नेशल छोटी की आंगनबाड़ी केन्द्र प्रथम में अपने समूह फर्म बालाजी के मार्फत पोषाहार आपूर्ति किया था। जिसका सितम्बर 2019 से जनवरी 2020 तक के बिलों का करीब 60 हजार रूपये का भुगतान बकाया है। उक्त भुगतान करने के लिये मैनें रेशमा को चार पांच दिन पहले भुगतान राशि के 20 प्रतिशत कमीशन देने एवं अन्य समूह की महिलाओं से इसी प्रकार कमीशन एकत्रित कर लाकर देने की कही थी। रेशमा ने 3000 रूपये पहले दिये थे व मुझे अपने भुगतान के लिये आठ हजार रूपये खर्चे के लाकर अभी मुझे दिये है, जो मेरी शर्ट की जेब में है। परिवादिया श्रीमति रेशमा ने बताया कि मेरे हिसाब से मेरे द्वारा किये गये पोषाहार सप्लाई के 11 महिनों के बिल भुगतान के लिये सुभाष जी के पास बकाया है। इन्होनें मुझे पांच महिने के बिल भुगतान के लिये बकाया बताये थे तथा कहा कि आपके हिसाब से अगर ज्यादा बिल है तो बिल बनवाकर प्रमाणित करवाकर मुझे ला देना, उनका भी भुगतान करवा दूंगा तथा आठ हजार रूपये आज इन्होनें मेरे से रिश्वत के मांग कर ले लिये। आरोपी सुभाषचन्द्र द्वारा परिवादिया से रिश्वत प्राप्त करने की पुष्टि होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश से सुभाषचन्द्र का दांया व बांया हाथ क्रमशः राजकुमार व श्रवण कुमार कुमार ने कलाईयों से पकड़ लिये। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में साफ कांच के दो गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R–1, R–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सुभाष चन्द्र ब्लॉक समन्वयक के बायें हाथ की अंगूलियों को ही डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L–1, L–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह विकास कुमार ने सुभाष चन्द्र ब्लॉक समन्वयक के पहनी शर्ट की जेब की तलाशी ली तो पांच पांच सौ रूपये के नोट मिले। उक्त राशि को गिनकर गवाह ने आठ हजार रूपये होना बताया। नोटों के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलपुर की एक राशि जमा की पर्ची की पुश्त पर नेशल–I –8000+3000=11000 लिखा हुआ है। उक्त बरामद रिश्वती राशि 8000 के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। आरोपी सुभाषचन्द्र से बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण इस प्रकार है :–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2PP 932019
2	––––––––––;;––––––––––	5EC 392720
3	––––––––––;;––––––––––	6GF 617989
4	––––––––––;;––––––––––	1GC 911463
5	––––––––––;;––––––––––	4MM 090845
6	––––––––––;;––––––––––	0LB 675120
7	––––––––––;;––––––––––	3QH 715058
8	––––––––––;;––––––––––	1QU 210361
9	––––––––––;;––––––––––	8RT 827948
10	––––––––––;;––––––––––	7QW 488997
11	––––––––––;;––––––––––	4HC 205700
12	––––––––––;;––––––––––	9FF 723584
13	––––––––––;;––––––––––	4RK 108914
14	––––––––––;;––––––––––	1FP 973857
15	––––––––––;;––––––––––	1FP 973858
16	––––––––––;;––––––––––	1FP 973859

उपरोक्त 8000 रूपयों के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। एसबीआई की राशि जमा कराने की पर्ची (स्लिप) की पुश्त पर जहां आरोपी द्वारा हिसाब लिखा है, के नीचे सम्बन्धितों हस्ताक्षर कराकर उक्त पर्ची को वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया। आरोपी सुभाष चन्द्र के लिये दूसरी शर्ट की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई शर्ट उतरवाकर इसके सामने की बांई जेब को उलटा कर सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर

मार्क P–1, P–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी सुभाषचन्द्र की उक्त शर्ट बरंग हल्का आसमानी नीला की जेब सुखाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक धागे में सील्ड चिट कर शर्ट पैकेट को वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना सील जरिये फर्द अलग से लिया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री सुभाषचन्द्र को बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादिया श्रीमती रेशमा व आरोपी सुभाषचन्द्र के मध्य रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता को जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर फर्द ट्रास्किप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादिया द्वारा आपूर्ति किये गये पोषाहार से सम्बन्धित बिल आदि दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रतियां जरिये फर्द अलग से जप्त की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका अलग से जरिये फर्द तैयार किया गया। मौके पर ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान, व जाप्ता तथा गिरफतार आरोपी श्री सुभाषचन्द्र व ट्रेप कार्यवाही में जप्त सम्बंधित वजह सबूत हमराह लेकर जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन से राजगढ से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचे। परिवादिया श्रीमती रेशमा को राजगढ में रूख्सत दी गई। ट्रेप में जप्त वजह सबूत आठ हजार रूपये रिश्वती राशि सील्ड, धोवन की छः सील्ड शिशियां, रिश्वत लेन–देन वार्ता की सील्ड व खुली डीवीडी तथा आरोपी की शर्ट पैकेट व आरोपी द्वारा लिखी एक हिसाब की पर्ची दुरस्त सउनि श्री गिरधारी सिंह को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का पृथक से एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादिया श्रीमती रेशमा पत्नी जयसिंह जाट निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ जिला चूरू द्वारा बालाजी स्वयं सहायता समुह के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र नेशल छोटी प्रथम में माह 09/2018 से 01/2019 तक 05 माह पोषाहार आपूर्ति कर भुगतान हेतु बिल तैयार कर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ में प्रस्तुत किये गये। उक्त बिलों का भुगतान करने की एवज में श्री सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक द्वारा परिवादिया रेशमा को लगभग 60 हजार रुपये के बिल पेण्डिग होना गलत बताकर उक्त राशि के 20 प्रतिशत कमिशन बतौर रिश्वत की मांग करना एवं 3000 रुपये पूर्व में प्राप्त करना तथा 8000 रुपये रिश्वत के दिनांक 02.11.2022 को परिवादिया से राजगढ स्थित अपने कार्यालय में प्राप्त किये गये, जिस पर आरोपी सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक को रंगे हाथों पकड़ा जाकर रिश्वती राशि उसके पहनी शर्ट की जेब से बरामद की गई। श्री सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ जिला चूरू का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री सुभाषचन्द्र ब्लॉक समन्वयक कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ जिला चूरू के विरूद्ध धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित की जा रही है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुभाषचन्द्र, ब्लॉक समन्वयक (संविदाकर्मी), कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजगढ, जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 429/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 3720-24 दिनांक 03.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. कार्यालय, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजगढ, जिला चूरू।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

3/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।